फा०सं०3-16/2021-2022/प्र०अ०/

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-110016

प्रबंधक अनुभाग

दिनांक: 4th Aug 2021

विषय: **राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन०सी०ई०आर०टी०) कैम्पस के कूड़ेदानों/खत्तों एवं घरों से कूड़ा करकट (Garbage) उठाने के लिए सीमित निविदा/दर सूची (Limited Rates/quotation) आमंत्रण के संबंध में।**

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन०सी०ई०आर०टी०) परिसर के कूड़ेदानों/खत्तों एवं घरों से कूड़ा करकट (Garbage) उठाकर बाहर ले जाने के लिए कूड़ा/करकट उठाने वाली गैर-सरकारी फर्मो/कंपनियों से सीमित निविदा/दर सूची (Limited Rates/quotation) आमंत्रित की जाती है। कार्य एवं शर्ते निम्नानुसार है:

1.	ठेका प्राप्त करने वाले ठेकेदार को निर्धारित धरोहर/प्रतिभूति राशि रु.5000/- परिषद् के खाते में जमा करवाना अनिवार्य होगा जोकि बिंना ब्याज के ठेके की समाप्ति पर ही प्रतिदेय होगी।
2.	ठेकेदार द्वारा इस कार्य हेतु लगाए गए कर्मचारियों की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और उसकी पुलिस द्वारा सत्यापित रिपोर्ट परिषद् में जमा करवानी होगी।
3.	एन०सी०ई०आर०टी० के समस्त कार्यालय परिसर, आवासीय परिसर के 350 क्वार्टरों से, सामुदायिक केंद्र तथा विपणन केंद्र (शापिंग कॉम्प्लेक्स) एवं विभागीय कैन्टीन और एन०आई०ई० अतिथिगृह के आस-पास का कूड़ा-करकट उठाकर सुरक्षा जाँच के पश्चात् बाहर ले जाना होगा।
4.	परिषद् के मुख्य कूड़ा घर से प्रत्येक मास में कम से कम चार बार कूड़ा उठाकर बाहर ले जाना होगा। यदि कूड़ाघर (डम्पिंगयार्ड) में जमा कूड़ा परिषद् द्वारा उठाया जाएगा तो कूड़ा उठाने पर हुआ खर्चा ठेकेदार की जमा धरोहर/प्रतिभूति राशि से काट दिया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि कूड़ाघर के बाहर कूड़ा फैलने की स्थिति उत्पन्न न होने पाए।
5.	ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कूड़ा उठाते समय परिषद् की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति न हो तथा परिषद् की सम्पत्ति को मजदूरों द्वारा चुराया न जाए।
6.	मुख्य कूड़े घर में यदि आग लगेगी और उससे किसी भी प्रकार की हानि होगी तो उस हानि को पूरा करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
7.	उक्त सभी जगहों से कूड़ा उठाकर बाहर ले जाना होगा जिसके लिए मजदूर, ट्राली, फावडे इत्यादि सामान ठेकेदार का ही होगा।
8.	कूड़ा उठाने का ठेका एक वर्ष का होगा, कार्य निष्पादन संतोषजनक पाए जाने पर परिषद् द्वारा इस अवधि को अगले एक-एक वर्ष के अंतराल में दो बार अगले दो और वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकता है। कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं होने पर कभी भी ठेका रद्द किया जा सकता है।
9.	नियुक्त ठेकेदार को स्वयं ही कूड़ा उठाने का कार्य करना होगा वह किसी और ठेकेदार को ठेका नहीं देगा।
10.	प्रत्येक महीने की समाप्ति पर बिल राशि की भुगतान हेतु बिल की दो प्रतियाँ प्रबंधक अनुभाग में जमा करनी होंगी।
11.	यदि नियुक्त ठेकेदार द्वारा कूड़ा उठाने, कूड़ादान साफ करने/खाली करने का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो एक माह का अग्रिम नोटिस देकर ठेका रद्द किया जा सकता है।
12.	यदि ठेका समाप्त होने पर कूड़ेदानों और मुख्य कूड़ाघर (डम्पिंगयार्ड) में कूड़ा जमा पाया गया तो धरोहर/प्रतिभूति जमा राशि नहीं लौटाई जाएगी।

उपर्युक्त शर्तो के अनुरूप परिषद् के कूड़े-कचरे के निस्तारण हेतु प्रतिमास की दर से एकमुश्त राशि की मांग की दरें (Quotation) निविदा पत्र जारी होने की तिथि से **तीन सप्ताह** के अंदर अनुभाग अधिकारी, प्रबंधक अनुभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के पास भेज दें। इस तिथि के बाद प्राप्त होने वाले निविदा/दर सूची को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

म. सिंह 04/08/21

अवर सचिव

प्रबंधक अनुभाग